

|कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

F 14 () 2015/FCA/PCCF/CCF –II Dated 7-7-2017

जिला /वनमण्डल टोंक में देवली तहसील के दूनी आंवा रोड से चांदली माताजी लिंक रोड 5 कि०मी० के निर्माण कार्य में 2.1 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में राजस्थान स्टेट एग्रीकल्वर मार्केटिंग बोर्ड डिविजन टोंक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. **FP/RJ/ROAD/14903/2015** पर दिनांक 2.9.2015 को रजिस्टर किया गया है। एम०ओ०ई०एफ० लखनउ के पत्र दिनांक 14.3.2016 (पी 102/सी) के क्रम में बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर के पत्रांक 3750 दिनांक 6.6.2017 (पी 105/सी) से प्रस्ताव में पालना रिपोर्ट संलग्न की गई है। प्रस्ताव का पालना का परीक्षण एम०ओ०ई०एफ० लखनउ द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में किया गया।

1. बिन्दु संख्या –1 मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न कर दिये गये हैं। ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट । में एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र में जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 14.9.2015 का जारी प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायत चांदली एवं निवारिया का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। इसमें ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण, उप खण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण, जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है। जो प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 4 – यूजर ऐजेन्सी द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग का पत्र संलग्न किया गया है उक्त पत्र को एम०ओ०ई०एफ० लखनउ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये के संबंध में दस्तावेज या राजस्व दस्तावेज जिससे सड़क बनाया जाना 1980 से पूर्व प्रदर्शित होता हो।
3. प्रस्ताव में बिन्दुवार पालना रिपोर्ट की हार्ड प्रति मय संलग्नक प्राप्त नहीं हुई है। जो प्रस्तावित है।

प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोंपरांत उपरोक्त बिन्दुओं पर मुख्य वन संरक्षक अजमेर को अग्रिम कार्यवाही हेतु ऑनलाइन सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।